



सत्यमेव जयते

IN-UK92811996623143X

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

₹100

e-Stamp

卷之三

Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference 
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)

First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount(Rs.)

518
19/08/2005

四百一



: IN-UK92811996623143X
: 19-May-2025 03:42 PM
: NONACC (SV)/ uk1206804/ HARIDWAR/ UK-HD
: SUBIN-UKUK120680493030685273043X
: Vijay Prakash Gupta
: Article 35 Lease
:
:
:
:
0
(Zero)
:
Anuj Saini
:
Vijay Prakash Gupta
:
Vijay Prakash Gupta
:
100
(One Hundred only)

सत्यमेव जयते



IN-UK92811996623143X

~~किरायानामा~~

हम कि अनुज सैनी पुत्र श्री जोधराज सैनी निवासी धनौरी, जसवावाला रोड, हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पिन कोड 247667 प्रथम पक्ष मकान मालिक व विजय प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री जय नारायण गुप्ता निवासी 4/14, मिलन विहार कॉलोनी, जेल रोड, अलीगढ़ 202001 द्वितीय पक्ष किरायेदार है।

विदित हो कि प्रथम पक्ष का निम्न मकान जिसका प्रथम पक्ष स्वामी व मालिक काबिज अधिकारी हैं तथा सम्पत्ति को किराये पर देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। निम्न मकान प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को किराये पर देना तय है और द्वितीय पक्ष ने लेना स्वीकार किया है जिसकी बाबत

अनु ग - २०११

Vijai Prakash Gupta

Statutory Alert:

- Statutory Alert:**

 1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
 2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
 3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

अब दोनो पक्षकारो के मध्य निम्नलिखित शरायत तय पाई है जिनके दोनो पक्षकार पाबन्द व जिम्मेदारी होंगे व रहेगे:-

- 1:- यह कि प्रथम पक्ष ने निम्न मकान द्वितीय पक्ष को दिनोंक 01.01.2025 से दिनोंक 30.11.2025 ई0 यानि ग्यारह माह की अवधि के लिए किराये पर मुब0 6,000/-प्रति माहवार की दर से किराये पर दिया है और द्वितीय पक्ष ने किराये पर लिया है।
- 2:- यह कि द्वितीय पक्ष प्रत्येक माह एडवांस जरे किराया मुब0 6,000/- रूपये प्रथम पक्ष को अदा करता रहेगा।
- 3:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न मकान के बिजली व पानी का बिल निर्धारित किराये के सम्मिलित है।
- 4:- यह कि यदि कोई भी पक्ष किरायेदारी को मध्य में ही समाप्त करना चाहेगा तो एक माह पूर्व नोटिस देकर मकान खाली करा सकता है या खाली कर सकता है।
- 5:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न मकान मे कोई शिकमी किरायेदार नही रखेगा और ना ही शिकमी किराये पर देगा। और जिस अवस्था में प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को मकान दिया है उसी अवस्था में द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को उक्त मकान सौंपेगा।
- 6:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न मकान मे कोई तोड फोड या रद्दोबदल नही करेगा और न ही कोई कार्य करेगा जिससे सम्पत्ति की मालियत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ही पडे।
- 7:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न सम्पत्ति को उक्त अवधि पर खाली करके कब्जा प्रथम पक्ष को ही देगा किसी भी दिगर व्यक्ति के कब्जे मे नही देगा और कब्जा देने में कोई आनाकानी नही करेगा।
- 8:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न सम्पत्ति को रिहायश के लिये इस्तेमाल करेगा और किसी ऐसे कार्य मे इस्तेमाल नही करेगा जो कानून के विरुद्ध हो और न ही कोई असामाजिक कार्य करेगा।
- 9:- यह कि उक्त मकान नवनिर्मित है उस पर यू.पी. एक्ट 13 सन् 1972 लागू नही होता है।
- 10:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न सभी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करेगा। किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में प्रथमपक्ष को द्वितीय पक्ष से उक्त निम्न खाली कराने का पूर्ण अधिकार होगा।

A Identified by
विवरण सम्पत्ति:- जो कि एक मकान जिसमे द्वितीय तल पर दो कमरे, किचन, लैटरिन बाथरूम बने है जो स्थित ग्राम व पोस्ट धनौरी तहसील रुडकी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड में है।

अतः यह किरायानामा दोनो पक्षों ने आपसी सहमति से लिखा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

दिनोंक :- 19-05-2025

ह0 प्रथम पक्ष-

Anuj
अनुज सेना

सा0

श्री अनुज सेना
प्रा. वृजपुर भौमका
जमानी भाजपुर
(3.50)

ह0 द्वितीय पक्ष-

Vivek Kumar Gupta
ATTESTED
सा0
NAVEEN KUMAR
ADVOCATE
H.O. HARIDWAR
Reg. No. 41 (05) 2025



सत्यमेव जयते

IN-UK15173189047815X

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

- : IN-UK15173189047815X
- : 25-Aug-2025 04:16 PM
- : NONACC (SV)/ uk1206804/ HARIDWAR/ UK-HD
- : SUBIN-UKUK120680436873249462974X
- : MS Doon Infra Structure
- : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
- : -
- : 0
(Zero)
- : Asha Dhiman
- : MS Doon Infra Structure
- : MS Doon Infra Structure
- : 100
(One Hundred only)

ASHISH KUMAR
E-Stamp Vendor
Lic. No. 128/08
Chamber No.-2, Tehsil Hardwar
P.T.U.C. (TELEGRAMS) LTD.
DOON IN

卷之三



Statutory Alert:

- Statutory Alert:**
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

किरायानामा

हम कि श्रीमती आशा धीमान पत्नी श्री विशेष धीमान निवासी ग्राम डालूवाला कलां, बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पिन कोड 249402 प्रथम पक्ष मकान मालिक व हरविन्दर पुत्र श्री किशन चन्द व जसवंत सिंह पुत्र श्री दौलतराम केयर ऑफ एम/एस दून इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रो. आर. के. बंसल निवासी 5ए, वेस्ट रेस्ट कैम्प, देहरादून उत्तराखण्ड द्वितीय पक्ष किरायेदार है।

विदित हो कि प्रथम पक्ष का निम्न मकान जिसका प्रथम पक्ष स्वामी व मालिक काबिज अधिकारी हैं तथा सम्पत्ति को किराये पर देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। निम्न मकान प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को किराये पर देना तय है और द्वितीय पक्ष ने लेना स्वीकार किया है जिसकी बाबत अब दोनो पक्षकारो के मध्य निम्नलिखित शरायत तय पाई है जिनके दोनो पक्षकार पाबन्द व जिम्मेदारी होंगे व रहेंगे:-

- 1:- यह कि प्रथम पक्ष ने निम्न मकान द्वितीय पक्ष को दिनॉक 01.05.2025 से दिनॉक 31.03.2026 तक यानि ग्यारह माह की अवधि के लिए किराये पर मुबा 2,500/-प्रति माहवार की दर से किराये पर दिया है और द्वितीय पक्ष ने किराये पर लिया है।
- 2:- यह कि द्वितीय पक्ष प्रत्येक माह एडवांस किराया मुबा 2,500/- रुपये प्रथम पक्ष को अदा करता रहेगा।
- 3:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न मकान के बिजली व पानी का बिल किराये में शामिल नहीं है।
- 4:- यह कि यदि कोई भी पक्ष किरायेदारी को मध्य में ही समाप्त करना चाहेगा तो एक माह पूर्व नोटिस देकर मकान खाली करा सकता है या खाली कर सकता है।
- 5:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न मकान से कोई शिकमी किरायेदार नहीं रखेगा और ना ही शिकमी किराये पर देगा। और जिस अवस्था में प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को मकान दिया है उसी अवस्था में द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को उक्त मकान सौंपेगा।
- 6:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न मकान मे कोई तोड़ फोड़ या रद्दोबदल नहीं करेगा। और न ही कोई कार्य करेंगा जिससे सम्पत्ति की मालियत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ही पड़े।
- 7:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न सम्पत्ति को उक्त अवधि पर खाली करके कब्जा प्रथम पक्ष को ही देगा किसी भी दिगर व्यक्ति के कब्जे मे नहीं देगा और कब्जा देने में कोई आनाकानी नहीं करेगा।
- 8:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न सम्पत्ति को रिहायश के लिये इस्तेमाल करेगा और किसी ऐसे कार्य मे इस्तेमाल नहीं करेगा जो कानून के विरुद्ध हो और न ही कोई असामाजिक कार्य करेगा।
- 9:- यह कि उक्त मकान नवनिर्मित है उस पर यू.पी. एक्ट 13 सन् 1972 लागू नहीं होता है।
- 10:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न सभी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करेगा। किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में प्रथमपक्ष को द्वितीय पक्ष से उक्त निम्न खाली कराने का पूर्ण अधिकार होगा।

विवरण सम्पत्ति:- जो कि एक मकान जिसमें एक कमरा, किचन, लैटरिन बाथरूम बने हैं जो स्थित ग्राम डालूवाला कलां, बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पिन कोड 249402 में है।

अतः यह किरायानामा दोनो पक्षों ने आपसी सहमति से लिखा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

दिनॉक :- 25-08-2025

हो प्रथम पक्ष-

हो द्वितीय पक्ष-

1		2	
का जागी धोमन	जा अग्नि	प्रमाणित	HARWENDR SINGH
ATTESTED		RECEIVED	
'NAVEEN KUMAR ADVOCATE M.L. HARIHARAN Reg. No. 41 Date: 2025'			



सत्यमेव जयते

IN-UK15173583554445X

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand


e-Stamp

Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)

First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount(Rs.)

ASHISH KUMAR
E-Stamp Vendor
Lic. No. 12B/08
Chamber No.-2, Tehsil Hardwar
DURVIS DOON INFR

卷之三



pe below this line

JN-UK151735835544

Aug 11

Statutory Alert:

- Caution Alert:**

 1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
 2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
 3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

किरायानामा

हम कि जसवंत पुत्र श्री शिवकुमार निवासी ग्राम डालूवाला कलां, बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पिन कोड 249402 प्रथम पक्ष मकान मालिक व जयपाल पुत्र श्री मदन सिंह व विपिन कुमार पुत्र श्री भासु सिंह व अरसद पुत्र श्री नसीम अहमद द्वारा अधीकृत हस्ताक्षरित एम/एस दून इन्फा स्ट्रक्चर प्रो. आर. के. बंसल निवासी 5ए, वेस्ट रेस्ट कैम्प, देहरादून उत्तराखण्ड द्वितीय पक्ष किरायेदार है।

विदित हो कि प्रथम पक्ष का निम्न मकान जिसका प्रथम पक्ष स्वामी व मालिक काविज अधिकारी हैं तथा सम्पत्ति को किराये पर देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। निम्न मकान प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को किराये पर देना तय है और द्वितीय पक्ष ने लेना स्वीकार किया है जिसकी बाबत अब दोनो पक्षकारो के मध्य निम्नलिखित शरायत तय पाई है जिनके दोनो पक्षकार पाबन्द व जिम्मेदारी होंगे व रहेगे:-

- 1:- यह कि प्रथम पक्ष ने निम्न मकान द्वितीय पक्ष को दिनांक 01.05.2025 से दिनांक 31.03.2026 ई0 यानि ग्यारह माह की अवधि' के लिए किराये पर मुब0 3,000/-प्रति माहवार की दर से किराये पर दिया है और द्वितीय पक्ष ने किराये पर लिया है।
- 2:- यह कि द्वितीय पक्ष प्रत्येक माह एडवांस किराया मुब0 3,000/- रूपये प्रथम पक्ष को अदा करता रहेगा।
- 3:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न मकान के बिजली व पानी का विल किराये में शामिल नही है।
- 4:- यह कि यदि कोई भी पक्ष किरायेदारी को मध्य में ही समाप्त करना चाहेगा तो एक माह पूर्व नोटिस देकर मकान खाली करा सकता है या खाली कर सकता है।
- 5:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न मकान मे कोई शिकमी किरायेदार नही रखेगा और ना ही शिकमी किराये पर देगा। और जिस अवस्था मे प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को मकान दिया है उसी अवस्था मे द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को उक्त मकान सौंपेगा।
- 6:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न मकान मे कोई तोड़ फोड़ या रद्दोबदल नही करेगा और न ही कोई कार्य करेगा जिससे सम्पत्ति की मालियत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ही पडे।
- 7:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न सम्पत्ति को उक्त अवधि पर खाली करके कब्जा प्रथम पक्ष को ही देगा किसी भी दिगर व्यक्ति के कब्जे मे नही देगा और कब्जा देने में कोई आनाकानी नही करेगा।
- 8:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न सम्पत्ति को रिहायश के लिये इस्तेमाल करेगा और किसी ऐसे कार्य मे इस्तेमाल नही करेगा जो कानून के विरुद्ध हो और न ही कोई असामाजिक कार्य करेगा।
- 9:- यह कि उक्त मकान नवनिर्मित है उस पर यू.पी. एक्ट 13 सन् 1972 लागू नही होता है।
- 10:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न सभी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करेगा। किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति मे प्रथमपक्ष को द्वितीय पक्ष से उक्त निम्न खाली कराने का पूर्ण अधिकार होगा।

विवरण सम्पत्ति:- जो कि एक मकान जिसमे एक कमरा, किचन, लैटरिन बाथरूम बने हैं जो स्थित ग्राम डालूवाला कलां, बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पिन कोड 249402 मे है।


अतः यह किरायानामा दोनो पक्षों ने आपसी सहमति से लिखा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक :- 25-08-2025

ह0 प्रथम पक्ष-

ण्ठवल

सा0





सत्यमेव जयते

IN-UK15174158220171>

INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)

First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount(Rs.)

- : IN-UK15174158220171X
- : 25-Aug-2025 04:18 PM
- : NONACC (SV)/ uk1206804/ HARIDWAR/ UK-HD
- : SUBIN-UKUK120680436874972809014X
- : MS Doon Infra Structure
- : Article 35 Lease
- : -
- : 0
(Zero)
- : Sunil
- : MS Doon Infra Structure
- : MS Doon Infra Structure
- : 100
(One Hundred only)

ASHISH KUMAR
E-Stamp Vender
Lic. No. 128/08
Chamber No.-2, Tehsil Hazaribagh
MS DOON IN

$$\begin{array}{r} 9229 \\ \hline 25 | 8125 \end{array}$$

三



Please write or type below this line

IN-UK15174158220171X

✓ Рук

Statutory Alert:

- Statutory Alert:**

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.

2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

किरायानामा

हम कि सुनील पुत्र श्री जगदीश सिंह निवासी ग्राम रिठौराग्रन्त तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड प्रथम पक्ष मकान मालिक व विशाल पुत्र श्री लखन व लखन पुत्र श्री राजकुमार व रतिराम पुत्र जहारु द्वारा अधीकृत हस्ताक्षरित एम/एस दून इन्फा स्टूक्चर प्रो. आर. के. बंसल निवासी 5ए, वेस्ट रेस्ट कैम्प, देहरादून उत्तराखण्ड द्वितीय पक्ष किरायेदार है।

विदित हो कि प्रथम पक्ष का निम्न मकान जिसका प्रथम पक्ष स्वामी व मालिक काबिज अधिकारी हैं तथा सम्पत्ति को किराये पर देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। निम्न मकान प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को किराये पर देना तय है और द्वितीय पक्ष ने लेना स्वीकार किया है जिसकी बाबत अब दोनों पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित शरायत तय पाई है जिनके दोनों पक्षकार पाबन्द व जिम्मेदारी होंगे व रहेंगे:-

- 1:- यह कि प्रथम पक्ष ने निम्न मकान द्वितीय पक्ष को दिनॉक 01.05.2025 से दिनॉक 31.03.2026 ई0 यानि ग्यारह माह की अवधि के लिए किराये पर मुब0 6,000/-प्रति माहवार की दर से किराये पर दिया है और द्वितीय पक्ष ने किराये पर लिया है।
- 2:- यह कि द्वितीय पक्ष प्रत्येक माह एडवांस किराया मुब0 6,000/- रूपये प्रथम पक्ष को अदा करता रहेगा।
- 3:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न मकान के बिजली व पानी का बिल किराये में शामिल नहीं है।
- 4:- यह कि यदि कोई भी पक्ष किरायेदारी को मध्य में ही समाप्त करना चाहेगा तो एक माह पूर्व नोटिस देकर मकान खाली करा सकता है या खाली कर सकता है।
- 5:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न मकान मे कोई शिकमी किरायेदार नहीं रखेगा और ना ही शिकमी किराये पर देगा। और जिस अवस्था में प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को मकान दिया है उसी अवस्था में द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को उक्त मकान सौंपेगा।
- 6:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न मकान मे कोई तोड़ फोड़ या रद्दोबदल नहीं करेगा और न ही कोई कार्य करेगा जिससे सम्पत्ति की मालियत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ही पड़े। यह कि द्वितीय पक्ष निम्न सम्पत्ति को उक्त अवधि पर खाली करके कब्जा प्रथम पक्ष को ही देगा किसी भी दिगर व्यक्ति के कब्जे मे नहीं देगा और कब्जा देने में कोई आनाकानी नहीं करेगा।
- 8:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न सम्पत्ति को रिहायश के लिये इस्तेमाल करेगा और किसी ऐसे कार्य मे इस्तेमाल नहीं करेगा जो कानून के विरुद्ध हो और न ही कोई असामाजिक कार्य करेगा।
- 9:- सहायक उक्त मकान नवनिर्मित है उस पर यू.पी. एक्ट 13 सन् 1972 लागू नहीं होता है।
- 10:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न सभी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करेगा। किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में प्रथमपक्ष को द्वितीय पक्ष से उक्त निम्न खाली कराने का पूर्ण अधिकार होगा।

विवरण सम्पत्ति:- जो कि एक मकान जिसमे दो कमरे, किचन, एक लॉबी, लैटरिन बाथरूम बने हैं जो स्थित ग्राम रिठौराग्रन्त तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड में है।


अतः यह किरायानामा दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से लिखा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

दिनॉक :- 25-08-2025

रु0 प्रथम पक्ष-

रु0 द्वितीय पक्ष-

रु0 द्वितीय पक्ष-



L.T.F of Jh. Ratna
विराज
लखन



सत्यमेव जयते

9781451688974
20240621

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)

First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UK15173686374279X
: 25-Aug-2025 04:17 PM
: NONACC (SV)/ uk1206804/ HARIDWAR/ UK-HD
: SUBIN-UKUK120680436874546925357X
: MS Doon Infra Structure
: Article 35 Lease
:
:-
: 0
(Zero)
: Raman Pal
: MS Doon Infra Structure
: MS Doon Infra Structure
:
: 100
(One Hundred only)

ASHISH KUMAR
E-Stamp Vendor
Lic. No. 128/08
Chamber No.-2, Tithali Hariharan
MELMADON INFRA S

1000



Type below this line

AN-UK 151736869

✓

Statutory Alert:

- Statutory Alert:**

 1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
 2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
 3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

किरायानामा

हम कि रमन पाल पुत्र श्री हरीराम निवासी ग्राम डालूवाला कलां, बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पिन कोड 249402 प्रथम पक्ष मकान मालिक व दानिश पुत्र श्री मेहरबान अली व अफजल पुत्र श्री इकराम व अहसान पुत्र श्री सुलेमान व गुफरान पुत्र श्री यासीन द्वारा अधीकृत हस्ताक्षरित एम/एस दून इन्फा स्ट्रक्चर प्रौ. आर. के. बंसल निवासी ५५, वेस्ट रेस्ट कैम्प, देहरादून उत्तराखण्ड द्वितीय पक्ष किरायेदार है।

विदित हो कि प्रथम पक्ष का निम्न मकान जिसका प्रथम पक्ष स्वामी व मालिक काविज अधिकारी हैं तथा सम्पत्ति को किराये पर देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। निम्न मकान प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को किराये पर देना तय है और द्वितीय पक्ष ने लेना स्वीकार किया है जिसकी बाबत अब दोनो पक्षकारो के मध्य निम्नलिखित शरायत तय पाई है जिनके दोनो पक्षकार पाबन्द व जिम्मेदारी होंगे व रहेंगे:-

- 1:- यह कि प्रथम पक्ष ने निम्न मकान द्वितीय पक्ष को दिनांक 01.05.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक यानि ग्यारह माह की अवधि के लिए किराये पर मुबा० 5,000/-प्रति माहवार की दर से किराये पर दिया है और द्वितीय पक्ष ने किराये पर लिया है।
- 2:- यह कि द्वितीय पक्ष प्रत्येक माह एडवांस किराया मुबा० 5,000/- रूपये प्रथम पक्ष को अदा करता रहेगा।
- 3:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न मकान के बिजली व पानी का बिल किराये में शामिल नहीं है।
- 4:- यह कि यदि कोई भी पक्ष किरायेदारी को मध्य में ही समाप्त करना चाहेगा तो एक माह पूर्व नोटिस देकर मकान खाली करा सकता है या खाली कर सकता है।
- 5:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न मकान मे कोई शिकमी किरायेदार नहीं रखेगा और न ही शिकमी किराये पर देगा। और जिस अवस्था में प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को मकान दिया है उसी अवस्था में द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को उक्त मकान सौंपेगा।
- 6:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न मकान मे कोई तोड़ फोड़ या रद्दोबदल नहीं करेगा और न ही कोई कार्य करेगा जिससे सम्पत्ति की मालियत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ही पड़े।
- 7:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न सम्पत्ति को उक्त अवधि पर खाली करके कब्जा प्रथम पक्ष को ही देगा किसी भी दिगर व्यक्ति के कब्जे मे नहीं देगा और कब्जा देने में कोई आनाकानी नहीं करेगा।
- 8:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न सम्पत्ति को रिहायश के लिये इस्तेमाल करेगा और किसी ऐसे कार्य मे इस्तेमाल नहीं करेगा जो कानून के विरुद्ध हो और न ही कोई असामाजिक कार्य करेगा।
- 9:- यह कि उक्त मकान नवनिर्मित है उस पर यू.पी. एकट 13 सन् 1972 लागू नहीं होता है।
- 10:- यह कि द्वितीय पक्ष निम्न सभी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करेगा। किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में प्रथमपक्ष को द्वितीय पक्ष से उक्त निम्न खाली कराने का पूर्ण अधिकार होगा।

विवरण सम्पत्ति:- जो कि एक मकान जिसमें दो कमरे, किचन, लैटरिन बाथरूम बने हैं जो स्थित ग्राम डालूवाला कलां, बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पिन कोड 249402 में है।

अतः यह किरायानामा दोनो पक्षों ने आपसी सहमति से लिखा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आये।

दिनांक :- 25-08-2025

ह० प्रथम पक्ष-

मनोज
पाल

ह० द्वितीय पक्ष-

① Datinish

② २५८२१९

ATTESTED	
NAMEEN KUMAR ADVOCATE A.S. THE HARIDWAR Reg. No. 41 (05) 2025	

③ ३१३११०
④ ३८५४५५५५



सत्यमेव जयते



IN-UK61147235208943W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

₹10

e-Stamp

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

:	IN-UK61147235208943W
:	07-Dec-2024 02:47 PM
:	NONACC (SV)/ uk1324504/ HARIDWAR/ UK-HD
:	SUBIN-UKUK132450429367862077042W
:	DOON INFRASTRUCTURE
:	Article 4 Affidavit
:	-
:	0 (Zero)
:	DOON INFRASTRUCTURE
:	0
:	DOON INFRASTRUCTURE
:	10 (Ten only)

सत्यमेव जयते



Please write or type below this line

IN-UK61147235208943W

आज दिनांक 08.12.2024 को बिरम पुत्र श्री भूरु सिंह निवासी ग्राम मानूबांस तहसील व ज़िला हरिद्वार ने अपनी पांच बिधा भूमि बांबरो नदी में पुल बनोन के कार्य हेतु किराये पर दी है जिसमें पांच बिधा जमीन पर पुल बनाने वाली कम्पनी दून इन्फ्रास्ट्रक्चर अपना सामान व लेवर के लिए कमरे बनायेगी। पांच बिधा जमीन का किराया पांच हजार रुपये प्रति बिधा है जिसकी पांच बिधा की कुल रकम 25,000/-रुपये बनी है परन्तु बिरम ने अपनी पांच बिधा भूमि में गेहूं की फसल उगा रखी है जिस पर फसल का खर्च 20,000/-रुपये बिरम को अलग से दिये गये। बिरम को व उसके परिवार को पुल के कार्य के लिए दी गई जमीन से कोई आपत्ति नहीं है। दी गई भूमि एक साल के लिए दी गयी है जिसकी

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.stampit.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

